न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2023	2023/37	07.02.2023	09.04.2024

1. राजेश पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी चन्दूपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान।
2. विष्णु पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी चन्दूपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान।
3. सतेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी चन्दूपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. पटवारी हल्का पूनखर, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.11.2022 तहसीलदार मालाखेडा प्रकरण संख्या 70/2022।

उपस्थितः—

01. श्री संजीव जैन —वकील अपीलाण्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 10.11.2022 प्रकरण संख्या 70/2022 जिसके द्वारा संवत 2079 में ग्राम अहीरबास की आराजी खसरा न0 3450 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 गढ्ढा एवं 3451 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 02 में से अतिक्रमित रकबा 0.02 एवं 0.10 है0 पर जोत लगाने पर बेदखली की कार्यवाही, 50 गुणा पैनल्टी एवं 03 माह के सिविल कारावास कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल खसरा न0 3450 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 गढ्ढा एवं 3451 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 02 वाके ग्राम ग्राम अहीरबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित राजकीय आराजीयात से लगती हुई खातेदारी की आराजी खसरा न0 3439, 3457, 3538, 3540 इत्यादि मिन अपीलान्ट की आराजी है। जिस पर मिन अपीलांट के बुजुर्गान के समय से काश्त करते आ रहे हैं किन्तु ग्रामवासियान की रंजिश के कारण पटवारी से मिल्लत कर आराजी खसरा न0 3450 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 गढ्ढा एवं 3451 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 02 वाके ग्राम ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अहीरबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर पर जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी का बिना साक्षी व दस्तावेजी कथन कराते हुये हल्का पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट साईक्लोस्टाइल में प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2022 को नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज कर किया गया। उक्त नोटिस मिन अपीलान्ट के घर पर दे दिया गया। जिसकी सूचना होने पर अपीलांट में से अपीलण्ट संख्या 01 द्वारा देहली से आकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति अनुसार अपना जवाब दिनांक 07.11.2022 को प्रस्तुत करने की सलाह अहलमद द्वारा दिये जाने पर मिन अपीलांट द्वारा हाजिर अदालत होकर नोटिस के जवाब में यह कथन कारित किया गया कि अपीलान्ट का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अगर किसी प्रकार का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्ट कब्जा छोडने को तैयार है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नजरअन्दाज कर दिनांक 10.11.2022 को निर्णय पारित कर तीन माह का सिविल कारावास, 0.68 रूपये लगान का 50 गुना राशि 34/–रूपये शास्ति जमा कराने के आदेश पारित कर दिये गए तथा एस0एच0ओ0 रामगढ को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये गए। निर्णय की प्रथम जानकारी अपीलांट को तब हुई जब दिनांक 30.01.2023 को पुलिस थाना मालाखेडा से एक पुलिसकर्मी द्वारा अपीलान्ट के घरवालों को सूचित करके चला गया। इस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से दिनां 30.01.2023 को ही नकल प्राप्त की। पता होने से अपील अन्दर अवधि पेश है। नोटिस प्राप्त होने पर मिन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि नोटिस में वर्णित आराजियात की पैमाइश कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। नोटिस में वर्णित किसी भी आराजियात पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट तुरन्त अतिक्रमण छोडने को तैयार है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट को आश्वासन व विश्वास दिलाया गया कि उक्त पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व विवादित आराजी व अपीलान्टान की आराजी की पैमाईश कराने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। किन्तु बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय मिन अपीलान्टान को नजर अन्दाज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा 91 एल आर एक्ट में जारी नोटिस में मिन अपीलाण्टान को पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना बताया गया है जबकि उक्त अतिक्रमण की बाबत हल्का पटवारी द्वारा इसमें कोई प्रकरण संख्या/खसरा नम्बर/रकबा अंकित नही किया गया है। जिससे विदित होता है कि हल्का पटवारी द्वारा उक्त कथन बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के मनमाने तरीके से नोटिस में अंकित कर दिया गया है। इसके अलावा भी उक्त नोटिस में भी अपीलान्टान का नोटिस में वर्णित आराजी के कितने–कितने भाग पर किस दिशा में कब्जा है यह कही भी अंकित नही किया गया है। जिस कारण भी उक्त परिस्थितियों में उक्त निर्णय मंसूख किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित आराजियात की पैमाइश कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आदेश में वर्णित किसी भी सरकारी आराजियात पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट तुरन्त अतिक्रमण छोडने को तैयार है। जिस कारण भी उक्त परिस्थितियों में उक्त निर्णय मंसूख किये जाने योग्य है। अपीलान्टान को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30.01.2023 को हुई। जानकारी उपरान्त नकल प्राप्त कर, अलवर आकर अधिवक्ता से कानूनी सलाह मशविरा करने पर अधिवक्ता महोदय द्वारा अपील करने की सलाह दी गई। जिस पर खर्चा अपील इत्यादि की व्यवस्था कर उक्त अपील अपीलान्टान द्वारा बिना किसी देरी के नेक नियति सद्भावना से जानकारी तिथि से अन्दर अवधि पेश की जा रही है तथा दिनांक 10.11.2022 से 29.01.2023 तक का जो समय लाईल्मी में व्यतीत हुआ व माफ किये जाने योग्य है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न है। उक्त आक्षेपित निर्णय तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मालाखेडा द्वारा बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से कार्यवाही करते हुये न्यायिम सिद्धातों के विपरीत पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी खसरा न0 3450 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 गढ्ढा एवं 3451 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 02 में से अतिक्रमित रकबा 0.02 एवं 0.10 है0 पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 10.11.2022 प्रकरण संख्या 70/2022 को सजा के बिन्दु की हद तक अपास्त किया जाता है। पैनल्टी एवं बेदखली को यथावत रखा जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलांटान द्वारा कब्जा छोड दिया गया है तो भौतिक रूप से उसकी तस्दीक करे और यदि कब्जा नहीं छोडा है तो भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत पश्चातवर्ती अतिक्रमण के क्रम में प्रकरण दर्ज कर सजा की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)